

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग

क्रमांक : प.1 (11) सा.प्र. / 5/2009

जयपुर, दिनांक ०१-०३-२०१३

आदेश

कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.9 (4)कार्मिक/क-1/2012 दिनांक 20-11-2012 द्वारा श्री पुखराज पाराशर को संविदा के आधारन्पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेषाधिकारी पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री पाराशर को राजस्थान में स्थित सर्किट हाउसों एवं दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में गुप-ए (केटेगरी अ (i)) की दर पर आवास एवं भोजनादि की सुविधा एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह सुविधा श्री पाराशर को इस पद पर रहने तक उपलब्ध होगी।

यह सुविधा राजकीय कार्य पर यात्रा करने पर एक बार अधिकतम 7 दिवस एवं माह विशेष में अधिकतम 10 दिवस तक अनुमत होगी।

राजकीय कार्यालय मुख्यालय पर स्थित सर्किट हाउस में आवास भोजनादि की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से  
(राजीव जैन)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, को उनकी आई.डी. संख्या एफ. 12006226 दिनांक 28.02.2012 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अति. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. अति. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सा. प्र. (गुप-4) विभाग।
5. प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।
6. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव